[भारत के राजपत्र, असाधारण, के II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0. 33/2017- केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017

सा॰ का॰िन॰(अ).- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्र सरकार, जी.एस.टी. परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 13/2017-केन्द्रीय कर(दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा0का0िन0 692(अ), दिनांक, 28 जून,2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i)में प्रकाशित किया गया था, में निम्निलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :-

(i) सारणी मेंक्रम सं॰ 9 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा,-

"10	भारतीय रिजर्व बैंक की ओवेरसीइंग	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा	भारतीय
	कमेटी के सदस्यों द्वारा सेवाओं की	गठित ओवेरसीइंग कमेटी के	रिजर्व बैंक।"।
	आपूर्ति	सदस्य	

[फ़ा सं.354/173/2017 –टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट :- प्रधान अधिस्चना को अधिस्चना सं॰ 13/ 2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, सा॰का॰नि॰ 692 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिस्चना सं॰ 22/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 22 अगस्त, 2017, सा॰का॰नि॰ 1047 (अ) दिनांक 22 अगस्त, 2017 के तहत संशोधन किया गया था।